1	2	3
32.	पांडिचेरी	
	(i) पांडिचेरी क्षेत्र	20.00 रु० से 22.00 रु० प्रतिदिन (24.7.95)
	(ii) माहे क्षेत्र	30.00 रु० प्रतिदिन हल्के कार्य के लिए
		40.20 रु० प्रतिदिन भारी कार्य के लिए (24.7.95)
	(iii) यनम क्षेत्र	19.25 रु० से 26.25 रु० प्रतिदिन (24.7.95)
	(iv) कराईकल	20.00 रु० से 22.00 रु० प्रतिदिन (24.7.95)
33.	केन्द्रीय क्षेत्र	64.04 रु० से 71.04 रु० प्रतिदिन" (12.7.94)

टिप्पणी: 1. न्यूनतम मजदूरी में, जहां कहीं प्रावधान हो, परिवर्ती महंगाई भत्ता भी शामिल है।
2. कोलम (3) में कोष्ठक में दर्शाई गयी तिथि मूल मजदूरी में पिछले संशोधन की तिथि है।
3. "मजदूरी की न्यूनतम दरों के साथ परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान दर्शाता है।

पुरूष और महिला श्रमिकों के लिए अलग-अलग मजदूरी दर

1273. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के ग्रामीण क्षेत्र में पुरूष व महिला श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दरों में भारी अन्तर होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने "समान पारिश्रमिक अधिनियम" के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लंघन-कर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री आर० कुमारमंगलम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के तहत किसी उल्लंघन का मामला जब कभी सरकार के समक्ष लाया जाता है या सरकार की जानकारी में आता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

Teachers in the Category of Workmen

1274. SHRI GURUDAS DASGUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to include the teachers in private schools in the category of workmen; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) The Supreme Court in the case of Ms A. Sundran Bal Vs. Government of Goa Daman and Diu held that although educational institution is an industry, a teacher working in an educational institution is not a workman under the I.D. Act. Supreme Court of India had directed that Government should take necessary steps to bring an appropriate legislation providing for adjudication of disputes between teachers and management of educational institutions. Subsequently, a sub-committee of the Consultative Committee of the Parliament attached to the Ministry of Labour headed by Shri Gurudas Das Gupta, M.P. studies the service conditions of teachers in private schools and recommended a comprehensive legislation for the teachers in private schools.

The recommendations of the Sub-Committee will be considered while formulating amendment proposals of the I.D. Act, 1947.